



प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-17 अगस्त, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5555/सा.-2/बारह-619(भाग-3)/2025-26, दिनांक-04.08.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-04-गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष संलग्न विवरणानुसार 02 नवीन गो-संरक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु कुल ₹0-320.24 लाख (रूपये तीन करोड़ बीस लाख चौबीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत गो-संरक्षण केन्द्रों हेतु निर्गत की गयी धनराशियों के नियम संगत व्यय, व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा भौतिक प्रगति तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा आहरित कर सीधे सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि से वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराने एवं केन्द्र के अग्रेतर संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिलाधिकारी की होगी।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है अर्थात् प्रस्तावित कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
- (6) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व प्रश्नगत निर्माण हेतु भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी।
- (7) जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (8) प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

- (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।
 - (13) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
 - (14) नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज दिये जाने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
 - (15) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्यज रूल्स/यथावश्यकता जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
 - (16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,20,24,000 (रुपये तीन करोड़ बीस लाख चौबीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 4403008000400 गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार यादव)

संयुक्त सचिव।

पु0सं0-178/2026/1993(1)/सैंटीस-2-2026/004-5(2)/2018-170397. तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी/कार्यदायी संस्था।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार यादव)

संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-178/2026/1993/सैंतीस-2-2026/004-5(2)/2018-170397, दिनांक-17 अगस्त, 2026 का संलग्नक:-
गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना (रा.यो.) (वित्तीय वर्ष 2026-27)

क्र०	जनपद	केन्द्र का विवरण	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	बलरामपुर	ग्राम इटवा, तह. बलरामपुर	160.12
2	बलरामपुर	ग्राम जीतपुर, तह. तुलसीपुर	160.12
योग-			320.24

(रूपये तीन करोड़ बीस लाख चौबीस हजार मात्र)

(अशोक कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।